लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
025/2022 (GCMS 2022/141)	24.05.2022	15.06.2022

अनवान

कैलाश चन्द्र डाड पिता गोपीलाल डाड निवासी मण्डफिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 12. 04.2022 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./025/2022(सू.अ.)(15.06.2022)/441 दिनांक 27.05.2022 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 15.06.2022 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 15.06.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 11. 06.2022 (कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 13.06.2022) अपना पक्ष रखा गया कि अपीलार्थी को आदिनांक तक वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुए हैं अतः वांछित सूचना दिलवाने का आदेश प्रदान करावें। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/774 दिनांक 14.06.2022 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

1. यह कि प्रार्थी श्री कैलाश चन्द्र डाड पिता गोपीलाल डाड निवासी मण्डफिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपील दिनांक 18.05.2022 को प्रस्तुत की गई हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन से अवगत कराया गया है कि उसके द्वारा दिनांक 12.04.2022 को वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिससे वांछित सूचना आदिनांक अप्राप्त हैं।
3. यह कि उक्तानुसार प्रार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 12.04.2022 इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ हैं, जिससे वांछित सूचना तैयार करना संभव नहीं हैं एवं प्रार्थी द्वारा सीधे ही श्रीमान् को प्रथम अपील प्रस्तुत कर दिये जाने से अपील प्रथम दृष्ट्या खारिज योग्य हैं।
4. यह है कि उक्तानुसार अपील पर जवाब स्वीकार अपील अपीलार्थी निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं प्रार्थना पत्र दिनांक 13.06.2022 तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/ एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/774 दिनांक 14.06.2022 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन दिनांक 12.04.2022 को लोक सूचना अधिकारी के यहां प्रस्तुत किया गया। परन्तु अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित कमेंन्ट्स से यह तथ्य उजागर हुआ है कि अपीलार्थी द्वारा अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत दिनांक 12.04.2022 को प्रेषित आवेदन कार्यालय में प्राप्त नहीं होने से वांछित सूचना उपलब्ध कराना संभव नहीं हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं उसके संलग्न अनुलग्नकों के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 12.04.2022 को प्रस्तुत आवेदन अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त हुआ है या नहीं, इस संबंध में कोई प्रमाण/रसीद उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।

निष्कर्षतः अपीलार्थी द्वारा दिनांक 12.04.2022 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त हुआ है। इस संबंध में कोई भी प्रमाण/रसीद अपील के साथ उपलब्ध नहीं होने से अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने कमेंण्ट्स में वर्णित तथ्य कि आवेदन कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है, उचित प्रतीत होता हैं। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती हैं।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ एवं अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **15.06.2022** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

-SD-

(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
15.06.2022

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official